न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 04/2018

अपीलान्टस	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
सायरी पत्नी मुस्तखां जाति मुसलमान(सिपाहो) निवासी सुभाष कालोनी बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. साबिर खां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान (सिपाही) निवासी सुभाष कालोनी बिलाडा तहसील बिलाडा 2. सरपंच ग्राम पंचायत मालकोसनी 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 3016 जो तत्कालीन ग्राम पंचायत मालकोसनी द्वारा दिनांक 05.11.2019 को स्वीकार किया गया।

1. अपीलान्टस की ओर से श्री अ"ाोक कुमार पटेल अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत मालकोसनी
4. रेस्पोडेन्ट सं. 3 सरकारी पैरोकार

:: निर्णय :: **दिनांक**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टेयर (09.05बीघा) किस्म बारानी तृतीय आयी हुई है उक्त भूमि की अपीलान्ट एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिसका अन्य का कोई हक हिस्सा नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टेयर(09.05 बीघा) किस्म बारानी तृतीय भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि यानि 04 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 22.08.2019 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 515 में पृष्ठ सं. 01 क्रम सं. 2019030561230 पर पंजीबद्ध कि[illegible] चुका है। तभी से रेस्पोडेन्ट सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार के रूप में काबिज है जिसकी अपीलान्ट स्वीकार करता है। मगर रेस्पोडेण्ट सं. 01 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 से मिलीभगत कर करके अपीलान्ट के द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि यानि 04 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि का ही बैचान करने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के यहां पर अपनी खरीद की गई भूमि का म्यूटेशन जरिये पंचायत प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 05.11.2019 को अपीलान्ट के द्वारा 1/2 हिस्से का ही बैचान करने एवं 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का पीछे रहने एवं बैचान में भी 1/2 हिस्सा का ही बैचान दर्ज होने के बावजूद मिलीभगत करके सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन सं. 3016 दिनांक 05.11.2019 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा जरिये प्रस्ताव सं. 03 के द्वारा पास करके सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन सं. 3016 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो खरीददार है के नाम से दिनांक 05.11.2019 को विधि विरूद्ध भर दिया गया है। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट सं. 3 भूमिधारी को उक्त म्यूटेशन में शुद्धिकरण करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2020 को पेश किया मगर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की है। तथा राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण जमीन रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से दर्ज कर दी गई है। अपीलाण्ट को उक्त म्यूटेशन सं. 3016 दिनांक 05.11.2019 को सम्पूर्ण भूमि का रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से भरने का पता दिनांक 15.02.2020 को लगा तब अपीलाण्ट ने म्यूटेशन नकल हल्का पटवारी मालकोसनी से दिनांक 20.02.2020 को प्राप्त की जिसमें रेस्पोडेण्ट सं. 1 साबिर खां के द्वारा 1/2 हिस्सा खरीद करना बताया गया है। तथा म्यूटेशन नकल रेस्पोडेण्ट सं. 3 के कार्यालय से प्रमाणित दिनांक 18.03.2020 को प्राप्त की गई है जिसमें 1/2 हिस्सा कहीं भी पर म्यूटेशन में नहीं दर्शाया गया है सम्पूर्ण हिस्सा का म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट के नाम से दर्शाया हुआ है जो उक्त दोनो म्यूटेशनों की प्रमाणित नकल इस अपील के साथ संलग्न है। इस प्रकार तत्कालीन पटवारी के द्वारा म्यूटेशन सं. 3016 दिनांक 05.11.2019 में एक प्रति में 1/2 हिस्सा तथा दूसरी में सम्पूर्ण हिस्सा दर्शाया गया है। जबकि अपीलान्ट ने मात्र 1/2 हिस्से की भूमि का बैचान किया है। तथा 1/2 हिस्सा अपना शेष यथावत रखा है। जो बैचान रजि[illegible] स्पष्ट अंकित है जिसको दरकिनार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

करके सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से भर कर तमाम जमीन विधि विरूद्ध तरीके से सम्पूर्ण जमीन रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से कर दी है। जबकि वर्तमान में आज दिन मौके पर अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि में अपने पीछे बचे 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम से भरे गये म्यूटेशन 3016 दिनांक 05.11.2020 की अलग अलग नकले प्राप्त की जिसके विरूद्ध यह अपील अन्दर म्याद निम्नलिखित आधारों पर पेश है। तत्कालीन ग्राम पंचायत मालकोसनी ने नामान्तरकरण सं. 3016 दिनांक 05.11.2019 को स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। तत्कालीन ग्राम पंचायत मालकोसनी ने नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनने को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये बाले–बाले की गई है जबकि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही की जानी चाहिये थी तत्कालीन ग्राम पंचायत मालकोसनी एवं हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 3016 को स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट से विधिवत एवं अन्य कोई जांच ही नहीं की तथा कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की तथा बैचान को भी सही ढंग से नहीं पढा तथा बिना पढें ही सम्पूर्ण वादग्रस्त जमीन का म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 1 के नाम अपीलाण्ट की जमीन को हडपने की नियत से गलत नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण सं. 3016 की प्रमाणित नकल वर्तमान पटवारी ग्राम मालकोसनी से प्राप्त करने पर पता चला है। कि सम्पूर्ण जमीन का म्यूटेशन सं. 3016 शुरू से ही शून्य है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मालकोसनी ने अपीलाण्ट को उनके जायत अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है नामान्तरकरण अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तत्कालीन हल्का पटवारी व तत्कालीन सरपंच मालकोसनी ने नामान्तरकरण भरते समय अपीलान्ट द्वारा किये गये बैचान के बारे में कोई विधिवत जांच किये ही रेस्पोडेण्ट सं. 1 साबिर खां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान सिपाही निवासी बिलाडा के नाम गलत स्वीकार किया है। इन परिस्थितियों में नामान्तरकरण सं. 3016 खारिज फरमाने योग्य है। आज दिन भी अपीलान्ट वादग्रस्त जमीन में अपने 1/2 हिस्से पर बहैसियत काश्तकार काबिज है। तत्कालीन हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी एवं ग्राम पंचायत मालकोसनी ने भूमि पर कब्जा के बारे में बिना कोई जांच कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही नियम विरूद्ध की है। एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है। अतः अपील पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 3016 को निरस्त किया जावें तथा ग्राम मालकोसनी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टेयर (09.05 बीघा) किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी साबिर खां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान निवासी बिलाडा के नाम से भरा गया नामान्तरकरण सं. 3016 दिनांक 05.11.2019 को निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त जमीन में 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम से एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट के नाम से माफिक बैचान पंजीयन आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया जाने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 सरकारी पैरोकार होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता ने जवाब मय वकालतनामा पेश किये जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा में अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 09.05 बीघा यानि 1.4967 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि में से 4.12.10 बिस्वांसी कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 साबिर ने अपीलान्ट श्रीमती सायरी से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22.08.1979 को खरीद की गई है। तथा मौके पर कृषि भूमि 04.12.2010 को नाम कर उक्त भूमि का कब्जा उसी दिन अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार उक्त खसरा नं. 791/43 रकबा 9.05 बीघा भूमि अपीलान्ट खातेदार नहीं है। अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 9.05 बीघा में से 1/2 हिस्सा की भूमि यानि 04 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि को अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 22.08.2019 को किया था जो बैचान दस्तावेज पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. [illegible]5 [illegible] सं. 1 के क्रम सं 2019030561230

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

पर उपपंजीयक अधिकारी बिलाडा द्वारा पंजीबद्धसुदा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 साबिर ने उक्त भूमि अपीलान्ट श्रीमती सायरी से जरिये रजिस्टर्ड बैचानानामा दिनांक 22.08.1919 को खरीद की गई है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी खरीदसुदा 1/2 हिस्से की भूमि को म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को बैचाननामा की फोटो कॉपी दी जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से उपरोक्त खसरे की खरीदसुदा 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सं. 3016 के जरिए पंचायत प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 05.11.2019 को राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया था मगर उक्त खसरे की भूमि का नामान्तरकरण कम्प्यूटर द्वारा अपडेट करते समय भूलवश, टंकण, त्रुटिवश सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं. 1 साबिर के नाम दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने किसी प्रकार मिली भगत नहीं की है। उक्त नामान्तरकरण विभाग में भूमि का नामान्तरकरण कम्प्यूटर द्वारा अपडेट करते कम्प्यूटर टंकण त्रुटिवश व भूलवश व सेव से दर्ज हो गया था रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपने नाम से उक्त खसरा नम्बर 791/43 रकबा 09.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का भरा गया कम्प्यूटर अपडेशन के समय भरे हुए म्यूटेशन में शुद्धि करवाने को तैयार है इसलिए नामान्तरकरण क्रमांक 3016 को शुद्धि किया जाकर खसरा नं. 791/43 रकबा 09.05 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 04 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की 1/2 हिस्सा यानि 04 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी खरीदसुदा भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज किया जावे तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेंन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट सायरी से खसरा नं. 791/43 रकबा 09.05 बीघा यानि 1.4967 हैक्टयेर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि में से 4.12.10 बिस्वांशी कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 साबिर ने अपीलान्ट श्रीमती सायरी से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22.08.2019 को खरीद की गई है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी खरीदसुदा 1/2 हिस्से की भूमि को म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को बैचाननामा की फोटी कॉपी दी जिस पर हल्का [illegible] द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त खसरे की खरीदसुदा 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर 1/2 हिस्से की भूमि का म्यूटेशन हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज किया गया था। मगर उक्त खसरे की भूमि का नामान्तरकरण कम्प्यूटर द्वारा अपडेट करते समय भूलवश, टंकण त्रुटिवश सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सं. 1 साबिर के नाम दर्ज हो गया। हल्का पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खरीदसुदा 1/2 हिस्से की भूमि के बैचान का विधिवत जांच की जाकर हल्का पटवारी द्वारा अपने नामान्तरकरण रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 हिस्सा का ही म्यूटेशन दर्ज किया गया है। लेकिन उक्त म्यूटेशन को कम्प्यूटर में आनलाईन अपडेट करते समय तकनिकी त्रुटिवश, व भूलवश सम्पूर्ण भूमि का म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया था। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपने अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार के काबिज है।

अतः जवाब अपील पेशकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से निवेदन है कि अपीलान्ट की प्रार्थना सही होने से अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टेयर यानि 09.05 बीघा किस्म बारानी तृतीय के खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सें का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के माफिक बैचान पंजीयक के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन संख्या 3016 ग्राम मालकोसनी का जो कि रेस्पोडेण्ट 2 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा अपीलाण्ट सायरी बहक श्री साबिर खां दिनांक 22.08.2019 के आधार पर स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सें का बैचान किया गया लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा म्यूटेशन संख्या 3016 स्वीकृत करते समय बैचाननामा दिनांक 22.08.2019 का अवलोकन नही किया गया और अपीलाण्ट के सम्पूर्ण हिस्से का म्यूटेशन खरीददार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिए [illegible] संख्या 2 द्वारा स्वीकृत आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested

म्यूटेशन संख्या 3016 दिनांक 01.11.2019 रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22.08.2019 के अनुसार स्वीकृत किया हुआ नही होने के कारण निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 3016 दिनांक 01.11.2019 ग्राम मालकोसनी को निरस्त किया जाता है व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 791/43 रकबा 1.4967 हैक्टेयर के सम्बंध में बैचाननामा दिनांक 22.08.2019 के अनुसार 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का तथा शेष 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:57 IST
Reason: SelfAttested